संख्या-56/2024/आई/781400/2024-8-3099/610/2023

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण,
बागपत।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2024

विषयः- **बागपत-बड़ौत-खेकड़ा महायोजना-2031 की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित बागपत-बड़ौत-खेकड़ा महायोजना-2031 का प्रतिवेदन व मानचित्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराये जाने संबंधी अपने पत्र संख्याग-195(।।)/बा.ब.खे.वि.प्रा./अधि.अनु./2024-25 दिनांक 23.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-104/न.नि./अमृत महा परीक्षण-बागतप-बड़ौत-खेकड़ा/2024-25 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से बागपत-बड़ौत-खेकड़ा महायोजना-2031 (प्रारूप) का प्रतिवेदन मानचित्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- बागपत-बड़ौत-खेकड़ा महायोजना-2031 प्रारूप पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) की धारा-8(4) एवं 10(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के उपर्युक्त पत्र दिनांक 05.09.2024 में इंगित कतिपय त्रुटियों का निराकरण कराये जाने की शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित शर्त के अधीन अनुमोदित महायोजना की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया बागपत-बड़ौत-खेकड़ा महायोजना-2031 को जनसामान्य की जानकारी हेतु न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कराते हुए महायोजना के मानचित्रों को जनसामान्य हेतु प्राधिकरण के डिसप्ले बोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकरू अनुमोदित बागपत-बड़ौत-खेकड़ा महायोजना-2031 (मूल रूप में)।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) आयुक्त, मेरठ मण्डल/अध्यक्ष, बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत।
(2) जिलाधिकारी, बागपत।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अनुमोदित बागपत-बड़ौत-खेकड़ा महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(4) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।